18 सितंबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 79वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 79.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) वड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड
क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस
लोकेशन : वड़ापलांजी, मदुरै

यूनिट को अनुमोदन पत्र 26 जुलाई, 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को 7 (सात) विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा आखिरी विस्तार की वैधता अवधि 7 मई 2017 तक थी। विकासक ने 07 मार्च, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	----
2.	निर्माण की लागत	20
	कुल	20

(ख) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अगस्त 2017 तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	9.40	----

2.	सामग्री का प्रापण	37	4.5
3.	निर्माण	37	4.5

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	पूरी होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	जनवरी-2018
2	18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मदुरै तथा बोडीनैकानूर स्टेशन के बीच केएम 13/7-8 एमडीयू - बीडीएमके सेक्शन पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।	90 प्रतिशत	80 प्रतिशत	दिसंबर-2017

विलंब के विस्तृत कारण :

साम्यपूर्ण विकास के लिए पूरे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए सरकारी की नीति, जब मदुरै में आईटी कंपनियों की ज्यादा मौजूदगी नहीं है। एलकॉट से आईटी / आईटीईएस प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए इस लोकेशन को आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए कहा गया है।

एलकॉट ने तमिलनाडु के टियर 2 शहरों अर्थात मदुरै (2 लोकेशन), त्रिची, कोयंबटूर, सलेम, तिरुनेवेली एवं होसुर में आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। आईटी क्षेत्र में वैश्विक मंदी के कारण टियर टू शहरों के लिए आईटी कंपनियों का रिस्पांस उत्साहवर्धक नहीं है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) गंगैकोंडन, तिरुनेवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड
क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस
लोकेशन : गंगैकोंडन, तिरुनेवेली

यूनिट को अनुमोदन पत्र 26 जुलाई, 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को 7 (सात) विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा आखिरी विस्तार की वैधता अवधि 7 मई 2017 तक थी। विकासक ने 07 मार्च, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	----
2.	निर्माण की लागत	1.00
	कुल	1.00

(ख) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अगस्त 2017 तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	12.5	----
2.	सामग्री का प्रापण	33.00	2.66
3.	निर्माण	33.00	2.66

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	पूरी होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	1,42,22,00 रुपए की लागत से पानी की सुविधा के लिए अवसंरचना का सृजन	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लागू नहीं
2	1,24,35,545 रुपए की अनुमानित लागत से आरसीसी रोड वर्क का विस्तार	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	सितंबर 2017
4	मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (सह विकासक) 2.90 लाख वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण कर रहा है तथा सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। इंटीरियर तथा इलेक्ट्रोमेकेनिकल वर्क प्रगति पर है।	95 प्रतिशत	40 प्रतिशत	दिसंबर-2017

विलंब के विस्तृत कारण :

साम्यपूर्ण विकास के लिए पूरे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए सरकारी की नीति, जब तिरुनेवेली में आईटी कंपनियों की ज्यादा मौजूदगी नहीं है। एलकॉट से आईटी / आईटीईएस प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए इस लोकेशन को आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए कहा गया है।

एलकॉट ने तमिलनाडु के टियर 2 शहरों अर्थात मदुरै (2 लोकेशन), त्रिची, कोयंबटूर, सलेम, तिरुनेवेली एवं होसुर में आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। आईटी क्षेत्र में वैश्विक मंदी के कारण टियर टू शहरों के लिए आईटी कंपनियों का रिस्पांस उत्साहवर्धक नहीं है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) विश्वनाथपुरम, होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड
क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस
लोकेशन : विश्वनाथपुरम, होसुर

यूनिट को अनुमोदन पत्र 26 जुलाई, 2007 को प्रदान किया गया था। विकासक को 7 (सात) विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा आखिरी विस्तार की वैधता अवधि 7 मई 2017 तक थी। विकासक ने 07 मार्च, 2018 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	----
2.	निर्माण की लागत	4.7
	कुल	4.7

(ख) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अगस्त 2017 तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	भूमि की लागत	1.75	----
2.	सामग्री का प्रापण	39	
3.	निर्माण	39	14

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्रम संख्या	अधिकृत गतिविधि	पूरी होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण	100 प्रतिशत	60 प्रतिशत	उपलब्ध नहीं

विलंब के विस्तृत कारण :

साम्यपूर्ण विकास के लिए पूरे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए सरकारी की नीति, जब होसुर में आईटी कंपनियों की ज्यादा मौजूदगी नहीं है। एलकॉट से आईटी / आईटीईएस प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए इस लोकेशन को आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए कहा गया है।

एलकॉट ने तमिलनाडु के टियर 2 शहरों अर्थात मदुरै (2 लोकेशन), त्रिची, कोयंबटूर, सलेम, तिरुनेवेली एवं होसुर में आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। आईटी क्षेत्र में वैश्विक मंदी के कारण टियर टू शहरों के लिए आईटी कंपनियों का रिस्पांस उत्साहवर्धक नहीं है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iv) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 मई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

3 जुलाई 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 78वीं बैठक में एजेंडा मद संख्या 78.1(xii) की प्रति अनुबंध 1 के रूप में उपलब्ध है।

उपर्युक्त मामला अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक (3 जुलाई 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 78वीं बैठक) में रखा गया था तथा हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में विधिक राय के लिए महाधिवक्ता से संपर्क किया है और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया गया। पाया गया कि हरियाणा सरकार ने पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया था कि हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों के अनुसार एसईजेड से संबंधित सभी कालातीत परमीशन 3 साल की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ नए सिरे से बहाल किए जाएं ताकि सुनिश्चित हो सके कि परियोजना समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित हो। इसके अलावा पत्र दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, हरियाणा सरकार ने विकासक से 7 दिन के अंदर अपने स्वयं के जोखिम एवं लागत पर एसईजेड परियोजना को लागू करने के लिए संशोधित वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा ऐसा न होने पर तीन साल के विस्तार के लिए भारत सरकार की सिफारिश वापस ले जी जाएगी। उद्योग निदेशक ने पुष्टि की कि विकासक से वचन पत्र प्राप्त हो गया है। तथापि, इस मामले में महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर इनपुट, यदि कोई हो, के लिए राज्य सरकार को 31 जुलाई 2017 तक का समय प्रदान किया।

तथापि, हरियाणा सरकार से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

अब विकासक ने पत्र दिनांक 28 अगस्त 2017 (अनुबंध 2) के माध्यम से बताया है कि हरियाणा सरकार 6 मार्च 2017 को हरियाणा के उप महाधिवक्ता की राय प्राप्त कर चुकी है तथा प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को समाप्त कर दिया है।

सूचना तथा अग्रेतर निदेश के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपर्युक्त स्थिति प्रस्तुत है।

मद संख्या 79.8 : विविध मामले (2 प्रस्ताव)

(i) 9 सितंबर 2011 से प्रभावी 5 साल के पहले ब्लाक की अवधि को 2 साल के लिए अर्थात 8 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (यूनिट 2) जो 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी जारी करने की तिथि :	24 जून, 2010
यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप :	क्रिस्टलाइन सिलिकॉन आधारित हाई एफिशियंसी सोलर सेल तथा सोलर माड्यूल एवं उनके पार्ट्स का निर्माण
विस्तार की संख्या :	यूनिट ने 9 सितंबर 2011 को उत्पादन शुरू किया तथा तद्नुसार एलओए 8 सितंबर 2016 तक वैध था। यूनिट के अनुरोध पर समय समय पर यूनिट के एलओए की वैधता अवधि अस्थायी रूप से बढ़ाई गई तथा इस समय एलओपी की वैधता अवधि 7 अक्टूबर 2017 तक है।
एलओए कब तक वैध है :	7 अक्टूबर, 2017

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा **:** मौजूदा **/** क्रियाशील यूनिट

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	
2	निर्माण की लागत	
3	प्लांट एवं मशीनरी	
4	अन्य ऊपरी खर्च	
	कुल :	

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश : मौजूदा / परिचालन इकाई

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश : (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत		
2	सामग्री का प्रापण		
3	सेवा लागत		
4	अन्य ऊपरी खर्च		
	कुल :		

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण : मौजूदा / परिचालन इकाई

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.				
2.				
3.				

विलंब के विस्तृत कारण : मौजूदा / परिचालन इकाई

विस्तृत प्रस्ताव :

- वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर यूनिट का निष्पादन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**निर्यात का एफओबी मूल्य**	**निवल विदेशी मुद्रा अर्जन**
2011-12	8956.75	(6315.77)
2012-13	13932.06	1149.54
2013-14	9500.12	(1359.77)
2014-15	8451.43	(2559.52)
2015-16	5415.58	(533.52)
कुल :	46255.88	(9619.04)

वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के अनुसार 2015 तक यूनिट का संचयी एनएफई 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 9619.04 लाख रुपए (ऋणात्मक) है तथा वसूल न किया गया फोरेक्स 812.86 लाख रुपए है। इसके अलावा यूनिट ने सूचित किया है कि 2016-17 के दौरान उनका एनएफई 1951.81 लाख रुपए (धनात्मक) है तथा 2016-17 तक समग्र संचयी ऋणात्मक एनएफई 9619 लाख रुपए से घटकर 7667.30 लाख रुपए हो गया है (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार)। इसके बाद यूनिट ने सूचित किया था कि वसूल न की गई राशि (9 माह के बाद लंबित राशि) लगभग 6.55 लाख रुपए थी।

यूनिट ने 9 सितंबर 2011 से प्रभावी 5 साल के पहले ब्लाक की अवधि को दो साल के लिए अर्थात 8 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 72 के तहत अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2017 के माध्यम से अनुरोध किया था। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 (1) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2015 में बीआईएफआर में अपना पंजीकरण कराया था। यूनिट ने यह भी बताया था कि नया कानून "दिवाला दिवालियापन संहिता" (आईबीसी) जिसने एसआईसीए को प्रतिस्थापित किया, जो 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी है, किसी कंपनी तथा मोजर बेयर सोलर लिमिटेड जैसी बीमार कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं करता है कि वे ऋणात्मक निवल मूल्य के कारण उनके यहां अपना पंजीकरण कराएं। और बीआईएफआर से मामलों को अपने आप ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं है। और जैसा कि अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रम योजना शुरू की है, वे आईबीसी के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराना चाहते हैं, हालांकि वे सामान्य एवं आम बोलचाल में ऋणात्मक निवल मूल्य के कारण बीमार कंपनी के रूप में बने हुए हैं।

निष्पादन की निगरानी के लिए 2 जून, 2017 को आयोजित बैठक में विचार के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष मामला रखा गया। अनुमोदन समिति ने पाया कि यूनिट का अनुरोध एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 72 के तहत विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है तथा अनुरोध पर विचार करने के लिए नियम 72 की शर्तों में छूट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इस उद्योग की परिस्थितियों, नई दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के संबंध में यूनिट द्वारा बताई गई स्थिति, 2016-17 में यूनिट के निष्पादन तथा उनकी प्रतिक्रम योजना को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन समिति ने 9 सितंबर 2011 से प्रभावी 5 साल के ब्लाक की अवधि को 2 साल के लिए अर्थात 8 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

विकास आयुक्त / अनुमोदन समिति की सिफारिश :

इस उद्योग की परिस्थितियों, नई दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के संबंध में यूनिट द्वारा बताई गई स्थिति, 2016-17 में यूनिट के निष्पादन तथा उनकी प्रतिक्रम योजना को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, एनएसईजेड की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति ने 9 सितंबर 2011 से प्रभावी 5 साल के ब्लाक की अवधि को 2 साल के लिए अर्थात 8 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) 17 मई 2012 से प्रभावी 5 साल के ब्लाक की अवधि को एक साल के लिए अर्थात 16 मई 2018 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स हेलियोस फोटो वाल्टिक लिमिटेड जो 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी जारी करने की तिथि	:	12 अक्टूबर, 2006
यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप	:	सोलर सेल एवं उनके पार्ट्स, सोलर माड्यूल एवं उनके पार्ट्स, हाई कंसन्ट्रेशन फोटो वाल्टिक पैनल एवं उनके पार्ट्स, लो कंसन्ट्रेशन फोटो वाल्टिक पैनल / सेल एवं उनके पार्ट्स, सोलर पावर सिस्टम (स्टैंड एलोन / ग्रिड टाइड) 75 मेगावाट का निर्माण, 54 वस्तुओं के व्यापार की गतिविधियां।
विस्तार की संख्या	:	यूनिट ने 17 मई, 2007 से उत्पादन शुरू किया। 16 मई 2012 को पांच साल का पहला ब्लाक पूरा हो गया। इसके बाद 5 साल के दूसरे ब्लाक अर्थात 16 मई 2017 तक के लिए एलओए को नवीकृत किया गया।
एलओए कब तक वैध है	:	16 नवंबर, 2017

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा : मौजूदा / क्रियाशील यूनिट

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	

2	निर्माण की लागत	
3	प्लांट एवं मशीनरी	
4	अन्य ऊपरी खर्च	
	कुल :	

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश **:** मौजूदा **/** परिचालन इकाई

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश : (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत		
2	सामग्री का प्रापण		
3	सेवा लागत		
4	अन्य ऊपरी खर्च		
	कुल :		

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण : मौजूदा / परिचालन इकाई

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
4.				
5.				
6.				

विलंब के विस्तृत कारण : मौजूदा / परिचालन इकाई

विस्तृत प्रस्ताव :

- यूनिट ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

  i) एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 72 के तहत दूसरी ब्लाक अवधि में एक और साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाना;
  ii) 16 मई 2017 के बाद 6 माह के लिए अस्थायी विस्तार प्रदान करना।

- वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर यूनिट का निष्पादन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**निर्यात का एफओबी मूल्य**	**निवल विदेशी मुद्रा अर्जन**	**वसूली के लिए लंबित फोरेक्स**
2012-13	3477.00	-3430.51	158.39

2013-14	14171.70	-2751.16	152.86
2014-15	6259.79	-1798.12	2.42
2015-16	2647.91	-814.58	163.72
कुल :	26556.40	-8794.37	477.39

वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के अनुसार 2015-16 तक यूनिट का संचयी एनएफई 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 8794.37 लाख रुपए (ऋणात्मक) है तथा वसूल न किया गया फोरेक्स 163.72 लाख रुपए है (वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार)। इसके अलावा यूनिट ने सूचित किया है कि 2016-17 के दौरान उनका एनएफई 4124.21 लाख रुपए (धनात्मक) है परंतु 31 मार्च 2017 तक की स्थिति के अनुसार उनका संचयी एनएफई अभी भी ऋणात्मक है। यूनिट के एलओए की वैधता अवधि अस्थायी रूप से 6 माह के लिए अर्थात 16 नवंबर 2017 तक बढ़ाई गई है।

यूनिट ने सूचित किया था कि उन्होंने कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 (1) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2014 में बीआईएफआर में अपना पंजीकरण कराया था। यूनिट ने यह भी बताया था कि नया कानून "दिवाला दिवालियापन संहिता" (आईबीसी) जिसने एसआईसीए को प्रतिस्थापित किया, जो 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी है, किसी कंपनी तथा हेलियोस फोटो वाल्टिक लिमिटेड जैसी बीमार कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं करता है कि वे ऋणात्मक निवल मूल्य के कारण उनके यहां अपना पंजीकरण कराएं।

मामले को 2 जून, 2017 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया था। अनुमोदन समिति ने पाया कि यूनिट का अनुरोध एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 72 के तहत विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है तथा अनुरोध पर विचार करने के लिए नियम 72 की शर्तों में छूट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इस उद्योग की परिस्थितियों, नई दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के संबंध में यूनिट द्वारा बताई गई स्थिति, 2016-17 में यूनिट के निष्पादन तथा उनकी प्रतिक्रम योजना को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन समिति ने 17 मई 2012 से प्रभावी 5 साल के दूसरे ब्लाक की अवधि को 1 साल के लिए अर्थात 16 मई 2018 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

विकास आयुक्त / अनुमोदन समिति की सिफारिश :

इस उद्योग की परिस्थितियों, नई दिवाला दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के संबंध में यूनिट द्वारा बताई गई स्थिति, 2016-17 में यूनिट के निष्पादन तथा उनकी प्रतिक्रम योजना को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन समिति ने 17 मई 2012 से प्रभावी 5 साल के दूसरे ब्लाक की अवधि को 1 साल के लिए अर्थात 16 मई 2018 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया। तथापि, नियम 72 की शर्तों में छूट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

****